संख्या-63/2026/390 के-2/22-3-2025-17(129)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2026

विषयः- उपकारागार देवबन्द, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहनवाज उर्फ प्लास्टिक पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-35583/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30.11.2023) दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उपकारागार देवबन्द, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहनवाज उर्फ प्लास्टिक पुत्र श्री शरीफ, जो ग्राम महमूदनगर, थाना-सिविल लाईन, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। प्रथम घटना-मुकदमें में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.2007 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमंचों से गोली मारकर बशीर व अतीक नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय घटना-दिनांक 17.08.2016 को बन्दी द्वारा धारदार कट्टन से गले पर मारकर बन्दी सुक्का की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु (1) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-919/2008 व 920/2008, में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 302, 120बी व 7 सी0एल0एक्ट एवं 25 ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10 मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26-09-2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-560/2016, में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, सहारनपुर के आदेश दिनांक 16-09-2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.09.2023 तक प्रथम वाद में बन्दी द्वारा 16 वर्ष, 08 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा तथा द्वितीय वाद में 07 वर्ष, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 11 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु लगभग 48 वर्ष है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना-मुकदमें में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.2007 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमंचों से गोली मारकर बशीर व अतीक नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय घटना-दिनांक 17.08.2016 को बन्दी द्वारा धारदार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

कट्टन से गले पर मारकर बन्दी सुक्का की हत्या कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी शहनवाज उर्फ प्लास्टिक पुत्र श्री शरीफ को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उपकारागार देवबन्द, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहनवाज उर्फ प्लास्टिक (बन्दी संख्या-194/17) पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फनगर।

2- अधीक्षक, उपकारागार देवबन्द, सहारनपुर।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-63/2026/390 के-2/22-3-2025-17(129)/2024

दिनांक- 17 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

उपकारागार देवबन्द, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहनवाज उर्फ प्लास्टिक पुत्र श्री शरीफ, जो ग्राम महमूदनगर, थाना-सिविल लाईन, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। प्रथम घटना-मुकदमें में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.2007 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमंचों से गोली मारकर बशीर व अतीक नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय घटना-दिनांक 17.08.2016 को बन्दी द्वारा धारदार कट्टन से गले पर मारकर बन्दी सुक्का की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु (1) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-919/2008 व 920/2008, में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 302, 120बी व 7 सी0एल0एक्ट एवं 25 ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10 मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26-09-2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-560/2016, में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, सहारनपुर के आदेश दिनांक 16-09-2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.09.2023 तक प्रथम वाद में बन्दी द्वारा 16 वर्ष, 08 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा तथा द्वितीय वाद में 07 वर्ष, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 11 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु लगभग 48 वर्ष है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना-मुकदमें में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.2007 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमंचों से गोली मारकर बशीर व अतीक नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय घटना-दिनांक 17.08.2016 को बन्दी द्वारा धारदार कट्टन से गले पर मारकर बन्दी सुक्का की हत्या कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शहनवाज उर्फ प्लास्टिक पुत्र श्री शरीफ को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in